

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी  
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 13/2022 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री सौरभ जैन निवासी सी 77 बनाम लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड  
आर0के0 कॉलोनी, भीलवाड़ा। अधिकारी, भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 28.02.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन दिनांक 06.12.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.02.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उनके पत्रांक सू.अ./2022/646 दिनांक 23.02.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी सूचना तैयार की जाकर अपीलार्थी के तहसील कार्यालय, भीलवाड़ा में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने पर दिनांक 21.01.2022 को सूचना उपलब्ध करा दी गयी जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(आशीष मोदी)  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलेट अधिकारी  
भीलवाड़ा  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा